

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27-01-2025

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित "उच्चतर पाठ्यक्रम" के अन्तर्गत "डी०एन०बी० पाठ्यक्रम" को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-3/2024/2736 दिनांक 02.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017, दिनांक 07.03.2018 तथा संख्या-1/129212/2022 71-4099/1247/20219 दिनांक 05.01.2022 में उल्लिखित "उच्चतर पाठ्यक्रम" के अन्तर्गत "डी०एन०बी० पाठ्यक्रम" को सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017, दिनांक 07.03.2018 तथा संख्या-1/129212/2022 71-4099/1247/20219 दिनांक 05.01.2022 के शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

Signed by Kritika Sharma
Date: 27-01-2025 16:13:22

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

6. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ।
9. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
13. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, 2 एवं 3।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-3/2025/ 333

दिनांक: ०७ फरवरी, 2025

उपर्युक्त कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ।
5. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ)।


कृते महानिदेशक।